ग्राम पंचायत सदरपुर, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सदरपुर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01.04.21 से 31.03.23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री आकाश वाहरी	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राकेश कुमार	01-04-21 से 31-03-23

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सदरपुर के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	15.42
2.	6	प्रिया सॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों में अंतर पाया जाना	0.63
3.	7	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व की सम्भावित हानि	0.02

4.	10	मापन पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकरियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करना	विवरणानुसार

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

प्राय: यह भी देखने में आया है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2013 से 03/2016" तक

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**पैरा स्थिति**	**टिप्पणी**
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की मांग व प्राप्ति रजिस्टर से पुष्टि करने के उपरान्त
2	पैरा 4	निर्णीत	दिनाँक 10 से 12 जनवरी 2022 के दौरान जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में चलाये गये विशेष पैरा समायोजन अभियान में निर्णित
3	पैरा 5	अनिर्णित	
4	पैरा 5.1	अनिर्णित	
5	पैरा 5.2	निर्णीत	दिनाँक 10 से 12 जनवरी 2022 के दौरान जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में चलाये गये विशेष पैरा समायोजन अभियान में निर्णित
6	पैरा 5.3	अनिर्णित	
7	पैरा 6	अनिर्णित	
8	पैरा 6.1	निर्णीत	दिनाँक 10 से 12 जनवरी 2022 के दौरान जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में चलाये गये विशेष पैरा समायोजन अभियान में निर्णित
9	पैरा 7	निर्णीत	दिनाँक 10 से 12 जनवरी 2022 के दौरान जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में चलाये गये विशेष पैरा समायोजन अभियान में निर्णित

10	पैरा 8	अनिर्णित	
11	पैरा 9	अनिर्णित	
12	पैरा 10	अनिर्णित	
13	पैरा 11	अनिर्णित	
14	पैरा 12	अनिर्णित	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सदरपुर, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 12-02-2024 से दिनांक 26-02-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय सदरपुर में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2021-22	02/22	11/21
2022-23	03/23	02/23

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत सदरपुर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 185 दिनांक 26.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सदरपुर से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत सदरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} **स्व: स्त्रोत:-** ग्राम पंचायत सदरपुर के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	357352.00	75079.16	432431.16	72763.00	359668.16
2022-23	359668.16	79930.00	439598.16	74680.00	364918.16

{ख} **अनुदान:-** ग्राम पंचायत सदरपुर के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	866802.00	3439965.07	4306767.07	2533603.00	1773164.07
2022-23	1773164.07	3284814.00	5057978.07	3880831.00	1177147.07

{ग} **दिनाकं 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-**

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General/SDP/ZP	KCCB, 53MILE	20126012062	364284.46
2.	General/5TH FC	KCCB, KANGRA	20033022653	126325.77
3.	15TH FC	IDBIB KANGRA	59104000056285	1051062.00
4.	हस्तगत रोकड़			393.00
	कुल योग			**1542065.23**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	**1542065.23**
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	**1542065.23**
अंतर	**0.00**

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट

के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है। अत: वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने औचित्य स्पष्ट किया जाए। वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

5. अनुदान राशि ₹15.42 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है | पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सुचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान ₹1542065.23 उपयोग हेतु शेष थी |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 183(1) दिनांक 26.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सदरपुर से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या क्रमांक 05/24 दिनांक 26.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्ति हो चुकी है उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को निर्धारित उधेश्य हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. प्रिया सॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों में ₹0.63 लाख अंतर पाया जाना :-

विभिन्न ग्राम पंचायतों की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है जिसका क्रियान्वन पंचायती राज बिभाग हि. प्र. क्र रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (समान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागजरहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayt में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा रहें है, वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नही खाते/परिणामस्वरूप **₹63021.45** का अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार मासिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (except manrega)

क्रम स.	माह	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	11/21	66020.00	66010.70	10.70	123921.00	123921.00	0.00
2	02/22	25743.00	105097.00	79354.00	1356.00	22435.00	21079.00
3	02/23	46000.00	48604.00	2604.00	457042.00	455600.00	1442.00
4	03/23	527554.00	531937.00	4383.00	276129.00	312616.00	36487.00

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)

क्रमस.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	2021-22	2040915.98	1900089.23	140826.75	974828.46	991411.00	16582.54
2	2022-23	1756241.00	1795854.00	39613.00	2350134.00	2386621.00	36487.00

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
2022-23	1604693.68 +393 (Cash in Hand) =1605086.68	**1542065.23**	**63021.45**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 183(2) दिनांक 26.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या क्रमांक 05/24दिनांक 26.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अन्तर के कारणों को पूर्णतः स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹0.02 लाख की राजस्व की सम्भावित हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिबार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**1928**/- का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि
रेत	5.86	1.62	9.49	60	569
बजरी	10.67	1.52	16.22	60	973
कुल योग					**1542**
पेनल्टी 25%					**386**
कुल योग					**1928/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184(5) दिनांक 26.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक 05/24 दिनांक 26.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी।

अतः ₹**1928/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102-

Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

8. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान बिलों के भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था, जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

क्र° स°	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2021-22	11/21	**449817.00**
2.	2022-23	02/23	**692738.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184(6) दिनांक 26.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक 05/24 दिनांक 26.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 11/21 व 02/23 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 11/21 व 02/23 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184(7) दिनांक 26.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक 05/24 दिनांक 26.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10. मापन पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, सकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	माप पुस्तिका व पेज संख्या
1.	C/o land protection wall/retaining wall near Shamshan Ghat	मनरेगा	297000
2.	C/o water course Desh raj land to Akash bhari	मनरेगा	157000
3.	C/o link road to Niku ram house ward no. 2	मनरेगा	294000
4.	Cleaning of water course (kuhal) main pakdandi to khad chala	मनरेगा	298000
5.	निर्माण नाली नजदीक वार्ड न०4 व 7 ग्राम पंचायत सदरपुर	15TH FC	120000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184(8) दिनांक 26.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक 05/24 दिनांक 26.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके ऑडिट को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उल्लेखित अनियमितता का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 184(9) दिनांक 26.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक 05/24 दिनांक 26.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
2.	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
3.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
4.	बिल रजिस्टर	13	48
5.	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी,डी)

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

13. **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

14. **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

2455 – 2459 कौ/50 10 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)5/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा,, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सदरपुर, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

10 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

कौ/50

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT SADARPUR BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176001

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	357352	75079.16	432431.16	72763.00	359668.16

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2021 IN CASH BOOK 357352.00

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT SADARPUR BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176001

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	359668.16	79930.00	439598.16	74680.00	364918.16

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 359668.16

PRADHAN SECY

J.A

परिशिष्ट-1 पैरा 5 के

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP SADARPUR BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0	1614955.00	1614955.00	1614955.00	0.00
3	ZP	124500	28500.00	153000.00	153000.00	0.00
4	5TH FC	12120	504099.07	516219.07	293280	222939.07
5	DPO GRANT	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	MMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	0	0.00	0.00	0	0.00
9	SDRF	0	0.00	0.00	0.00	0.0
10	13TH FC	0	0.00	0.00	0.00	0.0
11	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.0
12	GRDY	0	0.00	0.00	0.00	0.0
13	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.0
14	SDP	164200	38000.00	202200.00	202200.00	0.0
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.0
16	15TH FC	565982.00	1254411.00	1820393.00	270168.00	1550225.0
	TOTAL	**866802.00**	**3439965.07**	**4306767.07**	**2533603.00**	**1773164.**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP SADARPUR BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balanc
1	14TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2	MGNREGA	0.00	1568890.00	1568890.00	1568890.00	0
3	ZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4	5TH FC	222939.07	333014	555953.07	429868	126085
5	DPO GRANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0
7	MMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0
8	VKVNY	0.00	0	0.00	0	0
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12	GRDY	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	SDP	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	15TH FC	1550225.00	1382910.00	2933135.00	1882073.00	105106
	TOTAL	**1773164.07**	**3284814.00**	**5057978.07**	**3880831.00**	**117714**

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **177316**